

6/11/12
16/8/12

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.NO. _____ OF 2012.

Shiv Nandan YadavPetitioner

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents

Subject:- *Retirement benefit*

INDEX.

Sl. No.	Particulars.	Page s
1.	Synopsis	i to
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 8
3.	Annexure-1: A true copy of the order dated 20.7.2010.	9-13
4.	Annexure-2: True copies of representations Series. dated 29.9.2011 and 15.11.2011.	14-17
5.	Vakalatnama of the petitioner.	

-/o/-

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2012

Shiv Nandan Yadav Petitioner

Versus

The State of Bihar and others Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for direction to the Respondent to grant 1st ACP to the petitioner w.e.f.9.8.1999 and 2nd ACP w.e.f. 26.12.2002 and to give its consequential benefits.

25.8.1978
PARA-3

Petitioner was appointed on the post of Panchayat Sevak.

31.3.2007
PARA-5

Petitioner retired from Madhepura Block posted as Panchayat Sevak.

PARA-6

There is scheme of State Government that every Panchayat sevak will be given 1st ACP after completing 12 years of service and 2nd ACP after completing 24 years of service but petitioner was not given said benefit.

20.7.2010
PARA-7
Ann-1

Vide order every Panchayat Sachiv were given 1st ACP after completing 12 years of service and 2nd ACP after completing 24 years of service but petitioner was not given said benefit.

(11)

PARA-8 According to aforesaid order petitioner is also entitled
for grant of 1st ACP and 2nd ACP.

29.9.2011 Petitioner filed representations by Respondent authority
15.11.2011
PARA-9 but no response.
Annexure-2
Series.

PARA-11 Similar other person were granted benefit of 1st ACP and
2nd ACP.

PARA-12 Petitioner is suffering from great economic loss.
Hence this Writ application.

-/0/-

DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE

COURT FEE

AUTH NO. 3185 DT. 16/12/2008



STAMP DUTY

00000

RS. 0000285

372403

बिहार
JUDICIAL

9.8.2012

BIHAR

INDIA **Zero*Zero*Zero*Zero*Two*EightFive***

2740 7232865

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2012

In the matter of an
application under Article
226 of the Constitution of
India

And

In the matter of :-

Shiv Nandan Yadav Son of Late Garbhu Prasad Yadav,
Resident of Village-Belo, Police Station-Murliganj,
District-Madhepura..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.
2. The Director, Panchayati Raj Directorate,
Government of Bihar, Patna.

3. The District Magistrate, Madhepura.
4. The Block Development Officer, Madhepura.
5. The Accountant General, Bihar, Patna.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshi
the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and her Companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on
behalf of the petitioner
abovenamed;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for
issuance of an appropriate writ in the nature of
Mandamus direction to the Respondent grant 1st A.C.P.
to the petitioner w.e.f. 9.8.1999 in the scale of
Rs.5000-8000 and 2nd A.C.P. in the scale of Rs.5500-

9000 w.e.f.26.12.2002 and to give its consequential benefits and any other appropriate writ, order, direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and lives within territorial Jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner was appointed to the posts of Panchayat Sevak vide Letter No.30 dated 25.08.1978 issued by Panchayati Raj Office, Saharsa and accordingly petitioner joined on the said post.

4. That the petitioner was posted at different places working as Panchayat Sevak and lastly the petitioner was posted at Madhepura Block and the petitioner worked there to the satisfaction of authority concern.

5. That the petitioner retired on 31.3.

2007 from Madhepura Block posted as Panchayat Sevak and thereafter the petitioner filed pension paper etc. in prescribed proforma and requested to pay all amount of retirement benefits but till date no payment has been made.

6. That there is scheme of State Government that the every Panchayat Sewak will be given Ist A.C.P. after completing 12 years of service and 2nd A.C.P. after completing 24 years of service but petitioner was not given benefit of Ist A.C.P. and 2nd A.C.P. in his whole service period.

7. That vide Memo No.416 dated 20.7.2010 issued by District Panchayat Raj Officer, Madhepura the every Panchayat Sachiv were given Ist A.C.P. after completing 12 years of service and 2nd A.C.P. after completing 24 years of service.

A true copy of the order dated 20.7.2010 is annexed

herewith and marked as
Annexure-'1' to this appli-
cation.

8. That according to aforesaid order
the petitioner is also entitled for grant of Ist
A.C.P. after completing 12 years of his service
9.8.1999 and 2nd A.C.P. after granting 24 years
of service i.e. 26.12.2002 but petitioner was
given the such benefit.

9. That the petitioner gave representa-
-tion dated 29.9. 011 and 15.11.2011 to the District
Panchayati Raj Officer, Madhepura requesting to
give benefit of Ist A.C.P. and 2nd A.C.P. w.e.f.
9.8.1999 and 26.12.2002 but till date no step has
been given.

True copies of representations
dated 29.9.2011 and 15.11.2011
are annexed herewith and

marked as Annexure-'2' Series
to this application.

10. That the petitioner several times requested the Respondent authority to grant Ist A.C.P. and 2nd A.C.P. and its consequential benefit but till date no step has been taken.

11. That similar other persons were given benefit of Ist A.C.P. and 2nd A.C.P. but in case of petitioner step brotherly attitude has been adopted.

12. That the petitioner is suffering from great economic loss due to laches of Respondent authority.

13. That the petitioner has no any other alternative and efficacious remedy other than by way of submission.

14. That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Court for the reliefs

as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your
Lordships may graciously be pleased
to admit this application, issue Rule
NISI, calling upon the Respondents and
after hearing the parties be pleased to
allow this application and grant reliefs
as prayed in Para-1 to this application.

And/Or

Pass such other order or orders as your
Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Shiv Nandan Tadvan aged about 66 years, Son of Late Garbhu Prasad Yadav, resident of Village-Beld, Police Station-Murliganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made ~~in~~ in Paragraph Nos. 2 to 5, 6 (Part) 8 to 10 and 12 are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 6 (Part) 7 and 11 are based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

219-1061-1169

Amulya

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)

:- आदेश :-

दिनांक 08.03.2010 को जिला स्थापना समिति एकीकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में समाहरणालय, मधेपुरा के नियंत्रणाधीन पंचायत सचिवों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-759 दिनांक-28.01.2008 द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2007 के तहत दिनांक 09/08/1999 अथवा उसके बाद 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति पंचायत सचिवों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लेखित वेतनमान में स्वीकृति दी जाती है।

यदि किसी संवर्ग के कर्मियों को किसी दूसरे संवर्ग के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान हो तो इस संवर्ग के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत दूसरे संवर्ग का निम्नतम वेतनमान अनुमान्य होगा तथा दूसरे संवर्ग के निम्नतम वेतनमान का अगले उच्चतम पद का वेतनमान द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत अनुमान्य होगा।

पंचायत सचिवों की कोई संवर्ग नियमावली नहीं है किन्तु पंचायत राज विभाग के अधीन पंचायत सचिवों को प्रमुख पंचायती राज पदाधिकारी (जिला पंचायत पर्यवेक्षक) के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है। प्रमुख पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 5000-8000 का वेतनमान अनुमान्य है।

पंचायत सचिवों का द्वितीय प्रोन्नति हेतु पद सांपन्न परिभाषित नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर सम्बन्धित रूप से विचारोपरान्त पंचायत सचिवों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत द्वितीय लाभ देने के लिए निम्न वेतनमानों की अनुमान्यता होगी।

(1) प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लिए - 5000-8000

(2) द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लिए - 5500-9000

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

सं०	कर्मियों का नाम / पदनाम	वर्तमान वेतनमान	नियुक्ति तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान (12 वर्ष पर)	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान (24 वर्ष पर)	अनुवृत्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री रामबल्लभ प्र० सिंह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	01.10.1959	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
02	श्री आनन्दी प्र० यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	22.04.1960	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
03	श्री रामानुज प्र० सिंह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	20.02.1964	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
04	श्री सुखदेव साहू, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	28.03.1964	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
05	श्री राजेश्वर प्र० यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	26.03.1964	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
06	श्री श्यामानन्द यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	30.03.1964	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त

	02	03	04	05	06	
07	श्री जर्नादन प्र० स्वर्णकार, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	30.03.1964	9.08.1999 000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
08	श्री कामेश्वर प्र० सिंह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	30.05.1964	9.08.1999 000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
09	श्री जेठल प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	05.11.1965	09.08.1999 000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
10	श्री सिताराम मेहता सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	16.07.1965	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
11	श्री रामचन्द्र प्रसाद भगत, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	16.07.1965	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
12	श्री घनश्याम गुप्ता, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	27.07.1965	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
13	श्री चन्द किशोर साह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	05.01.1966	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
14	श्री महेश्वरी प्रसाद यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	08.01.1966	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
15	श्री गंगाजन्म झा, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	08.01.1966	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
16	श्री युगेश्वर प्रसाद यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	08.01.1966	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
17	श्री अरविन्द प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	05.12.1967	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
18	श्री महेश्वर प्रसाद, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	24.11.1967	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
19	श्री यदुनन्दन यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	09.09.1968	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
20	श्री श्यामा प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	09.09.1968	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
21	श्री योगेन्द्र नारायण यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	11.09.1968	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
22	श्री तपेश्वर ठाकुर, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	13.09.1968	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
23	श्री पटशुचान यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	21.11.1968	09.08.1999 5000-8000	09.08.1999 5500-9000	सेवा निवृत्त
24	श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, पं० सचिव	3200-4900	09.12.1978	09.08.1999 5000-8000	09.12.2000 5500-9000	सेवा निवृत्त
25	श्री गिरिधर राय, पं० सचिव	3200-4900	26.12.1978	09.08.1999 5000-8000	26.12.2000 5500-9000	सेवा निवृत्त

(Handwritten signature)

1	02	03	04	05	06	07
26	श्री शिवशंकर सिंह, पं० सचिव	3200-4900	27.12.1978	09.08.1999 5000-8000	27.12.2002 5500-9000	कार्यरत
27	श्री दीपनारायण यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	28.12.1978	09.08.1999 5000-8000	28.12.2002 5500-9000	सेवा निवृत्त
28	श्री कृष्ण बिहारी यादव, पं० सचिव	3200-4900	30.12.1978	09.08.1999 5000-8000	30.12.2002 5500-9000	सेवा निवृत्त
29	श्री महाकान्त प्रसाद रमण, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1981	09.08.1999 5000-8000	15.01.2005 5500-9000	कार्यरत
30	श्री भूप नारायण यादव, सेवा निवृत्त पं० सचिव	3200-4900	16.01.1981	09.08.1999 5000-8000	-	सेवा निवृत्त
31	श्री जनेश्वर प्रसाद यादव, पं० सचिव	3200-4900	17.01.1981	09.08.1999 5000-8000	17.01.2005 5500-9000	सेवा निवृत्त
32	श्री महेश्वरी प्रसाद यादव, पं० सचिव	3200-4900	13.06.1981	09.08.1999 5000-8000	13.06.2005 5500-9000	-
33	श्री नन्दलाल यादव, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
34	श्री गुनेश्वर यादव, सेवा निवृत्त, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	सेवा निवृत्त
35	श्री सुरेश राम, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
36	श्री राजकिशोर साह, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
37	श्री प्रदीप विश्वास, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
38	श्री श्रीनंदन यादव, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
39	श्री इन्द्रभूषण प्रसाद सिंह, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
40	श्री वासुदेव यादव, पं० सचिव	3200-4900	15.01.1986	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
41	श्री योगेन्द्र कुमार, पं० सचिव	3200-4900	20.04.1987	09.08.1999 5000-8000	-	कार्यरत
42	श्री सुरेश ठक्कर, पं० सचिव	3200-4900	29.04.1987	09.08.1999 5000-8000	-	सेवा निवृत्त
43	श्री अजीत कुमार सिंह, पं० सचिव	3200-4900	04.07.1988	04.07.2000 5000-8000	-	कार्यरत
44	श्री चित नारायण यादव, पं० सचिव	3200-4900	04.07.1988	04.07.2000 5000-8000	-	कार्यरत
45	श्री विन्देश्वरी प्रसाद यादव, पं० सचिव	3200-4900	04.07.1988	04.07.2000 5000-8000	-	कार्यरत

Handwritten signature

01	02	03	04	05	06	07
46	श्री अंगद प्रसाद साह, पं० सचिव	3200-4900	24.04.1989	24.04.2001 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री रामण कुमार, पं० सचिव	3200-4900	24.04.1989	24.04.2001 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री जवाहर प्रसाद सिंह, पं० सचिव	3200-4900	24.04.1989	24.04.2001 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री वेणु राम, पं० सचिव	3200-4900	26.04.1989	26.04.2001 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री शशि कुमार सिंह, पं० सचिव	3200-4900	13.06.1989	13.06.2001 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री छुतहरू पासवान, पं० सचिव	3200-4900	17.01.1990	17.01.2002 5000-8000	-	कार्यरत
2	श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव, पं० सचिव	3200-4900	17.04.1990	17.04.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री विजेन्द्र कुमार, पं० सचिव	3200-4900	17.04.1990	17.04.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री नारायण मेहता, पं० सचिव	3200-4900	17.04.1990	17.04.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री जय कृष्ण यादव, पं० सचिव	3200-4900	17.04.1990	17.04.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री अमरनाथ भगत, पं० सचिव	3200-4900	17.04.1990	17.04.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री फुलेश्वर सिंह, पं० सचिव	3200-4900	17.05.1990	17.05.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री अरुण कुमार यादव, पं० सचिव	3200-4900	17.05.1990	17.05.2002 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री बमभोली राम, पं० सचिव	3200-4900	17.07.1991	17.07.2003 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री सीताराम राम, पं० सचिव	3200-4900	18.07.1991	18.07.2003 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री ठरदेव राम, पं० सचिव	3200-4900	18.07.1991	18.07.2003 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री विनय कुमार राम, पं० सचिव	3200-4900	19.07.1991	19.07.2003 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री शिबू होंसदा, पं० सचिव	3200-4900	12.02.1996	12.02.2008 5000-8000	-	कार्यरत
	श्री राजपाल मुखिया, पं० सचिव	3200-4900	13.02.1996	13.02.2008 5000-8000	-	कार्यरत

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685वि०(2), दिनांक- 25.06.2003 द्वारा निर्दिष्ट वृत्ति उन्नयन दिनांक- 09.08.1999 से प्रभावी इस योजना के प्रावधानों में अधिसूचना संख्या 1802वि०(2), दिनांक-20.03.2006 द्वारा

लिए गए संशोधन के आलोक में संविलियन के लाभ को वित्तीय उन्नयन न मानते हुए संबंधित पंचायत राशियों को देय वेतनमान का लाभ दिया गया है। इन सभी के वेतन का नियतन (सिद्धि) मौलिक नियमवली के नियम 22(1)ए (1) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में प्राप्त वेतन में एक घेतन वृद्धि न्यूनतम 100(एक सौ) रुपयों जोड़कर अगले वेतनमान(स्वीकृत) में समतुल्य/अगले प्रकम पर देय वेतन का निर्धारण किया जाएगा।

इस आदेश के तहत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त कर्मियों को देय लाभ की गणना/भुगतान की कार्यवाई से पूर्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनके सेवा पुस्त एवं कार्यालय से निम्नांकित तथ्यों से संतुष्ट हो लें।

1. विभागीय आरोप/कार्रवाई अंकित नहीं है या विभागीय कार्यकारी में दिए गए दण्ड के समय सीमा में नहीं है।
2. हिन्दी टिप्पणी तथा प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण हैं।
3. देय तिथि से पूर्व आदेश में अंकित किसी पंचायत सचिव के संबंध में कोई गामला पकाश में आने पर उरा कर्मी को स्वीकृत लाभ से तत्काल वंचित रखते हुए इसकी सूचना जिला पंचायत शाखा, मधेपुरा को अविलम्ब दी जाय। किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की झुटि या पर्यव्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए० सी० पी० योजना का लाभ से संबंधित आदेश को आवश्यकतानुसार रद्द या संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसुली/प्रतिपूर्ति उनके वेतन/पेंशन से कटवली जाएगी।

इस आदेश की सूचना सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी को दी जाय।

जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार
 ४०/-
 जिला पंचायत राज पदाधिकारी
 मधेपुरा।

झापांक.....११६...../पं०, मधेपुरा, दिनांक. २५/१२/१०...../

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, विद्या विभाग, बिहार पटना सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना/आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा / उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला/सभी वरीय उपसमाहर्ता, मधेपुरा जिला/जिला क्षेत्रीय पदाधिकारी, मधेपुरा/लोहागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

२५/१२/१०
 जिला पंचायत राज पदाधिकारी
 मधेपुरा।

अ ने क स र- 2 सिरीज

सेवा में,

जिला पंचायती राज अधिकारी,
मधोपुरा ।

विषय- शिवनन्दन यादव सेवानिवृत्त पंचायत सेवक को ए० सी० पी०
की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक निम्नांकित तथ्य

समर्पित है :-

- 1- कि मेरी नियुक्त पंचायत सेवक के पद पर दिनांक 26.12.1978 को हुई एवं 28 वर्ष से अधिक की अवधि सेवा पूर्ण करने के पश्चात दिनांक- 31.3.2007 को सेवा नवृत हुआ।
- 2- कि वित्त विभागीय सरकार के नियमों के तहत मुझे दिनांक 9.8.99 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० एवं 26.12.2002 के प्रभाव से द्वितीय ए०सी० पी०की सुविधा अनुमान्य है।
- 3- कि मैं अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व एवं बाद में भी ए०सी०पी० की स्वीकृति हेतु कई आवेदन समर्पित कर चुका हूँ परन्तु कोई कारवाई नहीं हो सकी है।
- 4- कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही अथवा आरोप लम्बित नहीं है।
- 5- कि मेरा कार्य - करण काफी संतोषप्रद रहा है।

2.

अतः निवेदन है कि मुझे दिनांक 19.8.99 के प्रभाव से प्रथम ए०सी० पी० एवं दिनांक 26.12.2002 के प्रभाव से द्वितीय ए०सी०पी० क्रमशः वेतनमान 5000-8000 एवं 5500-9000 में स्वीकृत करने की कृपा की जाय। इसके लिए आभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

ड०/अस्पष्ट

29.9.2011

१ शिवनन्दन यादव १

सेवा निवृत्त पंचायत सचिव

प्रधान कार्यालय, मधोपुरा।

अ ने क स च र- 2 सिर्रीज

सेवा में,

जिला पंचायती राज पदाधिकारी,
मधोपुरा।

विषय- शिवनन्दन यादव सेवा निवृत्त पंचायत सेवक को ए०सी० पी० की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक निम्नांकित तथ्य

समीपित :-

1- कि मेरी नियुक्ति पंचायत सेवक के पद पर दिनांक 26.12.1978 को हुई एवं 28 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात दिनांक- 31.3.2007 को सेवा निवृत्त हुआ।

2- कि वित्त विभागीय सरकारी नियमों के तहत मुझे दिनांक 9.8.99 के प्रभाव से ग्राम ए०सी० पी० एवं 26.12.2002 के प्रभाव से द्वितीय ए० सी० पी० की सुविधा अनुमान्य है।

3- कि मैं अपनी सेवा निवृत्त के पूर्व एवं बाद में भी ए० सी० पी० की स्वीकृति हेतु कई आवेदन समीपित कर चुका हूँ परन्तु कोई कारवाई नहीं हो सकी है।

4- कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही अथवा आरोप लम्बित नहीं है।

5- कि मेरा कार्य करण काफी संतोष प्रद रहा है।

अतः निवेदन हेतु दिनांक 9.8.99 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0 पी0 एवं दिनांक 26.12.2002 के प्रभाव से द्वितीय ए सी पी क्रमांक वेतन-मान 5000-8000 एवं 5500-9000 में स्वीकृत करने की कृपाकी जाय। इसके लिए आभारी रहूंगा।

विश्वासभाजन

ह0/- अस्पष्ट

§ शिव नन्दन यादव §

15.11.2011

सेवानिवृत्त पंचायत सचिव
प्रकांड कार्यालय, मधोपुरा।